

जिला- भोजपुर।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
अनुमण्डल व्यवहार न्यायालय, पीरो

T. S No.-22/2015

लधुमन साह वगैरह वादीगण
बनाम
बबीता देवी वगैरह प्रतिवादीगण

दिनांक:-09.03.2026

आज वादी की ओर से कोई पैरवी नहीं है। प्रतिवादी की ओर से आज पैरवी की गई है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वर्तमान में इस केस के वादी से मेरा कोई संपर्क नहीं है। अतः वाद खारिज होने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभिलेख अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में वादी विगत कई तिथियों से पैरवी करना छोड़ दिये हैं। वाद में अग्रिम कारवाई किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है, विदित होता है वादी को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं रह गई है। अतः न्यायाहित में वादी का वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
अनुमण्डल व्यवहार न्यायालय
पीरो (भोजपुर)